राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

संoसंo – राoपo–40 / 2018–खण्ड(छाया)– 2607 (अनु०)

प्रेषक,

सुरेन्द्र झा, (भाoप्रoसेo)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांकः–26.11.2018

विषय :– माह फरवरी 2019 में आयोजित होने वाले **'National Conference on Resolution of Agrarian (Land) Disputes'** के लिए विभिन्न तकनीकी सत्रों के विषयों का चयन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत होंगे कि दिनांक 23–24 फरवरी 2019 को पटना के मौर्या होटल में 'National Conference on Resolution of Agrarian (Land) Disputes' के आयोजन का निर्णय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा लिया गया है। इसके आयोजन में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का भू–राजस्व विभाग की भी सहभागिता संभावित है। इस Conference के आयोजन के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के अन्तर्गत माननीय तीन न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति (High Power Committee) का गठन किया गया है। इस समिति की बैठक दिनांक 20.11.2018 को सम्पन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उक्त दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन के लिए विभिन्न तकनीकी सत्रों के लिए विषयों के चयन हेतु, बिहार राज्य के सभी प्रमंडलायुक्तों से भी परामर्श प्राप्त किया जाय। विषयों के चयन के संबंध में अलग से एक टीम भोपाल भी जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के उच्च स्तरीय समिति (High Power Committee) की अगली बैठक दिनांक 12.12.2018 को निर्धारित है जिसमें राज्य के प्रमंडलायुक्तों तथा जिला पदाधिकारियों से प्राप्त परामर्श को समेकित कर विचारार्थ रखनाहै। उल्लेखनीय है कि विभिन्न श्रोतों से सम्मेलन में विचारार्थ कतिपय विषयों का चयन कर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से है –

1. Role of Board of Revenue after the creation of Bihar Land Tribunal as well as Revisional Power of Board of Revenue.
2. Consideration of Public Land, Govt. Land and Private Land by Revenue Authority under various Legislations.
3. Resolution of Land Disputes in Rural Areas.
4. Effective and time bound Land Mutation.
5. Jurisdiction of collector under section 4 (H) of Bihar Land Reforms Act, 1950 vis a vis Additional Collector under Mutation Act, 2011 for cancellation of Jamabandi.
6. Discrepancies in the provisions of Bihar Land Dispute Resolution Act, 2009 and Modifications/Suggestions for suitable amendments to make it effective tool of Settlement of Land Disputes.
7. To Constitute Land Titling Act.

अतः अनुरोध है अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों से विषय पर चर्चा कर विभिन्न तकनीकी सत्रों के लिए विषयों का चयन कर अपना परामर्श राजस्व पर्षद को दिनांक 08.12.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुoः– यथोक्त

विश्वासभाजन
26.11.18
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

d:\deepak 27.6.2018\'national conference on agrarian (land) disputes'\sabhi pramandala ayukt 26.11.18.docx

4

श्री सुनील कुमार सिंह, मा०प्र०से० अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में, आज दिनांक 23.10.2018 के अपराह्न 1.00 बजे से अगामी फरवरी माह में प्रस्तावित "National Conference on Agrarian(Land) Disputes" के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– 1) श्री सुरेन्द्र झा, सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
2) श्री मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
3) प्रो० सुरेश प्रसाद सिंह, डीन सामाजिक विज्ञान सी०एन०एल०यू०, पटना।

कार्यवाही :– सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा इस प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मेलन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिए गये –

(1) सम्मेलन के विभिन्न तकनीकी सत्रों (Technical Sessions) के विषय का चयन इस प्रकार किया गया :–

i. Role of Board of Revenue after the creation of Bihar Land Tribunal as well as Revisional Power of Board of Revenue.
ii. Consideration of Public Land, Govt. Land and Private Land by Revenue authority under various Legislations.
iii. Resolution of Land Disputes in Rural Areas
iv. Effective and time bound Land Mutation.
v. Jurisdiction of collector under section 4 (H) of Bihar Land Reform Act, 1950 vis a vis Additional Collector under Mutation Act, 2011 for Cancellation of Jamabandi.
vi. Discrepancies in the provision of Bihar Land Dispute Resolution Act, 2009 and role of DCLR after the judgment of Madheshwar Mandal case.
vii. To Constitute Land Titling Act.

(2)

1. उक्त विषयों से सम्बधित विशेषज्ञों को चिन्हित कर सूची तैयार करते हुए उन्हें आमंत्रित करना।
2. मा० C.J.I. को आमंत्रित किये जाने पर निर्णय लिया गया।
3. इस सम्मेलन में मा० पटना उच्च न्यायालय की भागीदारी हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
4. दो दिवसीय सम्मेलन आयोजन हेतु तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव दिया जाय।
5. उपयुक्त सभी कार्यों के सफल कार्यन्वयन हेतु श्री सुरेश प्रसाद सिंह, डीन, सामाजिक विज्ञान, सी०एन०एल०यू०, पटना को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
अध्यक्ष सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– सं०सं०–रा०प०–40/2018 – 2409 दिनांक– 24-10-2018

प्रतिलिपि:– सचिव, राजस्व पर्षद/संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद/प्रो० सुरेश प्रसाद सिंह, डीन, सामाजिक विज्ञान, सी०एन०एल०यू०, पटना/ मा० अध्यक्ष के प्रधान निजी सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

24/10/18
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

5

Chanakya National Law University
NYAYA NAGAR, MITHAPUR, PATNA-800 001
Tel. No.: +91-612-2352302, 2352309, 2352316 • Fax No.: +91-612-2352300, 2352314
website : www.cnlu.ac.in • e-mail : registrarcnlu@gmail.com, chanakyalawuniv@gmail.com

Letter No. CNLU/45(a)/2018- 1750 Dated: 29.10.2018

To

Hon'ble Chancellor and the Chief Justice,

Patna High Court, Patna.

Sub.: **National Conference on Agrarian (Land) Disputes – Reg.**

Esteemed Lord Chief Justice

In continuation with our discussion regarding National Conference on "**Agrarian (Land) Disputes**" which is going to be organised by Board of Revenue, Govt. of Bihar in the month of February, 2019 and the responsibility to conduct technical session is assigned to Chanakya National Law University, Patna. In this connection, as the Hon'ble Chancellor of our University Your Lordship is requested to constitute High Power Committee of three or four Hon'ble Judges of Patna High Court under Your Lordship Chairmanship to recommend the topics for technical session for this National Conference. Last year Hon'ble Chancellor and the Chief Justice, Patna High Court has constituted the said committee comprising of **Hon'ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah, Hon'ble Mr. Justice Dr. Anil Kumar Upadhyay and Hon'ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah.**

If Your Lordship gives his kind consent then the Hon'ble Vice-Chancellor of Chanakya National Law University Hon'ble Justice Smt. Mridula Mishra, Chairman-cum-Member, Board of Revenue Sri Sunil Kumar Singh, IAS and undersigned may be the Special Invitee of the said Committee.

The said Committee should also recommend names of the Hon'ble Judges (sitting or retired), Jurists to deliver lectures on the recommended topics.

With Warm regards.

Yours faithfully,

29/10/2018

Prof. Dr. S. P. Singh,
Dean, Social Sciences, CNLU
&
Coordinator of the National Conference.

Enclosures:

i) Notice dated 3rd February, 2018 from the Hon'ble Patna High Court.
ii) The minutes of the first meeting of the Board of Revenue, Govt. of Bihar.
iii) The outcome of the last National Conference on State Tribunals.